

भारत में औपचारकि रोज़गार की स्थिति

प्रलिमिस के लिये:

भारत में औपचारकि रोज़गार की स्थिति, करमचारी भविष्य निधि(EPF), शर्मकि अधिकार, [महामारी](#), [शर्मकि बल सरक्षण रपोर्ट](#), [शर्म संहति](#)

मेन्स के लिये:

भारत में औपचारकि रोज़गार की स्थिति

चर्चा में क्यों?

करमचारी भविष्य निधि(Employees Provident Fund- EPF) डेटा के अनुसार, EPF में योगदानकर्ताओं की संख्या में शुद्ध वृद्धि दिखने को मिलती है, परंतु यह भारत में बेरोज़गारी की ज़मीनी हकीकत के ठीक विपरीत है।

- भारत सरकार वर्ष 2017 से औपचारकि रोज़गार सृजन को मापने के लिये EPF के डेटा का उपयोग कर रही है।

औपचारकि रोज़गार:

परचिय:

- औपचारकि रोज़गार से आशय ऐसे रोज़गार से है जहाँ काम के नियम और शर्तें शर्म कानूनों तथा रोज़गार अनुबंधों द्वारा विनियमिति व संरक्षित होते हैं।
- इसकी कुछ विशेषताएँ हैं जो इसे अनौपचारकि रोज़गार से अलग बनाती हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- लखिति अनुबंध:** औपचारकि रोज़गार में आमतौर पर कार्य की शर्तों को रेखांकति करने वाला एक लखिति रोज़गार अनुबंध शामिल होता है, जिसमें काम से संबंधित ज़मिमेदारियाँ, काम के घंटे, मुआवज़ा, लाभ तथा अन्य नियम और शर्तें शामिल होती हैं।
- सामाजिकि सुरक्षा:** औपचारकि रोज़गार में शामिल करमचारी अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानवित्तनिधि, भविष्य निधि, बेरोज़गारी लाभ और वित्तीय सुरक्षा के अन्य रूपों जैसे सामाजिकि सुरक्षा लाभ के हकदार होते हैं।
- शर्मकि अधिकार:** औपचारकि रोज़गार वाले करमचारियों के पास कानून द्वारा संरक्षित विशिष्ट शर्म संबंधी अधिकार हैं, जैसे-ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार, सामूहिकि सौदेबाज़ी, अनुचित बरखास्तगी के खलिक सुरक्षा और विवादों के मामले में कानूनी सहायता तक पहुँच आदि।
- नियमिति भुगतान:** औपचारकि रोज़गार में करमचारियों को आमतौर पर एक नियमिति समय पर नियमिति रूप से वेतन मिलता है, जो उन्हें एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करता है।

अनौपचारकि रोज़गार:

- अनौपचारकि रोज़गार से तात्पर्य उन कार्यों से है जो शर्म कानूनों द्वारा विनियमिति अथवा संरक्षिति नहीं हैं, जिनमें व्यवस्था का अभाव होता है और जो अक्सर सरकारी नियमिति के दायरे से बाहर संचालित होते हैं।
- अनौपचारकि रोज़गार के कारण उत्पन्न असुरक्षिति कार्य परस्थितियों आय असमानता में वृद्धि और उत्पादकता में कमी के चलते आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है।

औपचारकि रोज़गार के बारे में EPF डेटा:

- EPFO की वार्षिक रपोर्ट में हाल के वर्षों में लगातार PF योगदान वाले नियमिति योगदानकर्ताओं की संख्या में स्थिरता या गरिवट देखी गई है।
 - वर्ष 2012 से 2022 के बीच EPF में नियमिति योगदानकर्ताओं की संख्या 30.9 मिलियन से बढ़कर 46.3 मिलियन हो गई।
 - वर्ष 2017 और 2022 के बीच नियमिति योगदानकर्ताओं की संख्या 45.11 मिलियन से बढ़कर केवल 46.33 मिलियन हुई, जो इस अवधि के दौरान विकास में मंदी को दर्शाता है।

- कुल EPF नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन नियमित योगदानकर्त्ताओं में तदनुरूप वृद्धि न्यूनतम थी।
 - वर्ष 2017-2022 के बीच कुल EPF नामांकन 210.8 मिलियन से बढ़कर 277.4 मिलियन हो गया।
 - यह EPF नामांकन की कुल संख्या (277.4 मिलियन) और नियमित योगदानकर्त्ताओं की संख्या (46.33 मिलियन) के बीच अंतर को इंगति करता है कि नामांकन का एक महत्त्वपूर्ण हस्तिसा नियमित योगदान के परणिमस्वरूप नहीं है।
- अधिकांश EPF नामांकन अन्यिमति PF योगदान के साथ अस्थायी या आकस्मिक नौकरियों से संबंधित हैं।

Chart 1 | The chart shows the number of regular contributors (in million) to the scheme





Chart 2 | The chart shows the overall enrolments and the number of regular contributors in millions. In the past five years, regular contributors increased by 1.2 million but the total number of EPF enrolments increased by around 67 million



- योगदानकर्त्ताओं में गरिवट के लिये अग्रणी कारक:
 - EPFO में अपने ही डेटा पर विवाद है और उसने नियमित योगदानकर्त्ताओं पर मासिक रपिरेट प्रकाशिति करना बंद कर दिया।
 - महामारी ने स्थितिको और खराब कर दिया, जिससे EPF योगदानकर्त्ताओं में गरिवट आई।
 - भारत सरकार ने औपचारिक रोजगार डेटा के अन्य स्रोतों, जैसे रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिविशालय (Directorate General of Employment and Training- DGET) की उपेक्षा की, जो वर्ष 2013 से प्रकाशित नहीं किया गया है।

भारत में रोजगार संकट का प्रदृश्य:

- बेरोजगारी दर:
 - वर्ष 2021-22 के लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी आवधकि शर्म बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS) रपिरेट के अनुसार, वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 4.1% थी।

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):
 - सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (Centre for Monitoring Indian Economy- CMIE) के अनुसार, वर्तीय वर्ष (2022-23) में भारत का LFPR घटकर 39.5% हो गया।
 - यह वर्ष 2016-17 के बाद से सबसे कम LFPR है।
 - पुरुषों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 66% है, जो विंगत सात वर्षों के नवीनों के नवीनों पायदान पर है, जबकि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) मात्र 8.8% है।
 - श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) कामकाजी उम्र की आवादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का एक भाग है जो ऐसे नियोजित या बेरोज़गार लोगों को संदर्भित करती है, जो रोज़गार के इच्छुक हैं या उसकी तलाश में हैं।

भारत में रोज़गार की कमी के कारण:

- औपचारिक एवं गुणवत्तापूर्ण रोज़गार का अभाव:
 - चीन के आरथिक मॉडल के विपरीत औपचारिक और नियमित रोज़गार, उचित वेतन का अभाव भारत के मध्यम वर्ग के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
 - गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी के कारण अधिक योग्य युवा सीमित नौकरियों के लिये प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे मज़बूत आरथिक विकास के दावों के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
- सामाजिक कारक:
 - भारत में जातीव्यवस्था अभी भी प्रचलित है, जिसके परणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिये कार्य करना वर्जित माना जाता है।
 - दीर्घ व्यवसाय वाले संयुक्त परिवारों में ऐसे कई व्यक्तिमिले जाएंगे जो बेरोज़गार हैं और परिवार की संयुक्त आय पर निभाव रहते हैं।
- कृषि का प्रभुत्व:
 - भारत में लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निभाव है, जबकि भारत में कृषि अवकाशित है तथा केवल मौसमी रोज़गार प्रदान करती है।
- लघु उद्योगों का पतन:
 - औद्योगिक विकास का कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
 - कुटीर उद्योगों का उत्पादन घटने के कारण काफी कारीगर बेरोज़गार हो गए।
- सीमित शिक्षा प्रणाली:
 - वर्तमान के पूँजीवादी वशिव में नौकरियों में अत्यधिक विशिष्टता आ गई है लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिये आवश्यक उचित प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है।
 - इस प्रकार कई लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, वे कौशल की कमी के कारण बेरोज़गार हो जाते हैं।

भारत में सुरक्षित श्रम का अधिकार:

- संवैधानिक ढाँचा:
 - भारतीय संविधान में श्रम को सम्परक्ती सूची में रखा गया है, इसलिये केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस विषय पर कानून बना सकती हैं।
- न्यायिक व्याख्या:
 - रणधीर सहि बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "भले ही 'समान काम के लिये समान वेतन' का सदिधांत भारत के संविधान में परभाषित नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 (C) के तहत इस लक्ष्य को हासिल किया जाना है।"
- विधिक ढाँचा:
 - श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिये और कार्य-दशाओं में सुधार के लिये सरकार द्वारा कई विधियां तथा प्रशासनिक पहलें की गई हैं। इस संबंध में अभी हाल ही में 4 श्रम संहिताओं का एक समेकति समूह भी लाया गया है।
 - वेतन संहिता, 2019
 - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
 - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

बेरोज़गारी रोकने हेतु सरकार की पहलें:

- आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत वयक्तियों के लिये समर्थन (SMILE)
- पी.एम.-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हतिहासी)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- स्टार्ट-अप इंडिया योजना
- रोज़गार मेला

आगे की राह

- EPF जैसे एकल डेटा स्रोत पर भरोसा करना, भारत के श्रम बाज़ार की जटिलता को नज़रअंदाज कर सकता है। PLFS जैसे व्यापक श्रम आँकड़े

- स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं और देश में नौकरियों के संकट को दूर करने के लिये तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
- भारत में औपचारिक रोज़गार संकट के लिये अंतर्निहित मुद्दों का समाधान करने और औपचारिक रोज़गार सृजन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
 - अधिक औपचारिक रोज़गार के अवसर पैदा करने और अनौपचारिक क्षेत्रों पर नियंत्रण को कम करने के लिये वनिरिमाण तथा कुछ सेवाओं जैसे उच्च शरम तीव्रता वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 - ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों में निविश करने की आवश्यकता है जो उद्योग की मांगों के अनुरूप हों, ताकि कार्यबल की रोज़गार क्षमता बढ़ सके और बेहतर गुणवत्ता वाले औपचारिक रोज़गार मिल सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016)

स्रोत द हिन्दू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-of-formal-employment-in-india>

